

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, 30प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड अनुभाग

लखनऊ, दिनांक : 14 अगस्त, 2017

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवार्य-आयोजनेत्तर-107-होमगार्डस, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण एवं 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय" के लिए स्वीकृत वित्तीय स्वीकृतियों जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-07/2017/494/पन्चानबे-17-8 बजट/16, दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के क्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विनियोग के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के अन्तर्गत प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) तक के लिए स्वीकृत धनराशि को घटाते हुए संलग्न विवरण के अनुसार रूपया 4,73,78,08,000/- (रू0 चार अरब तिहत्तर करोड अट्ठत्तर लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अन्तर्गत व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों, नवीनतम शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004 मित0-1/2004, दिनांक 07 जनवरी, 2005 एवं शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009 मित0-1/2007, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सके। अतः यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईंधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को इस प्रकार नियोजित किया जाय, जिससे यथासंभव आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय को पूरा किया जा सके और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाय।

2. बजट में प्राप्त धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

.....2

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथराजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन में सुनिश्चित किया जाय।

4. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थित हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय का कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। महासमादेष्ट होमगार्ड्स यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था की जायेगी तथा शासन को बराबर इससे अवगत कराया जायेगा। यदि किसी विनियोग को प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन को अवगत कराया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय तथा स्वीकृत धनराशि की फेजिंग कर आहरण किया जाय, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक न हों।

7. कृपया प्रत्येक माह के व्यय की सूचना अगले माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से शासन को उपलब्ध करा दें तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को वितरित की जाने वाली धनराशि को वितरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

8. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक अतिरिक्त धनराशि की कोई व्यवस्था न हो, स्वीकृत की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

9. वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाय।

10. इस सम्बन्ध में स्वीकृत धनराशि के आवंटन/व्यय के संबंध में विभाग स्तर से समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्णरूप से अनुपालन करते हुए धनराशि का व्यय/उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. इसके अतिरिक्त लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवार्य-आयोजनेत्तर 08-नगर निकाय चुनाव, लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण एवं 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय की मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के अलग-अलग प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय स्वीकृतियां शासन के अनुमोदनोपरान्त पृथक से निर्गत की जायेगी।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

.....3.....

4. यह कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 (छायाप्रति संलग्न) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं। संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-19/2017/1367(1)/पन्चानबे-17-तददिनांक।

प्रतिलिखित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम तथा द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, होमगार्डस मुख्यालय, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9. बजट सहायक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुनील कुमार
उप सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-19/2017/1367/पन्चानबे-17-08 बजट/17 दिनांक 14अगस्त, 2017 का संलग्नक।

लेखाशीर्षक मद/ अनुदान संख्या-74	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि (रूपये लाख में)	लेखानुदान प्रथम 05 माह हेतु स्वीकृत धनराशि (रूपये लाख में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवशेष धनराशि जो स्वीकृत की जानी है (रूपये लाख में)
2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-107-होमगार्डस			
03-सामान्य अधिष्ठान			
02-मजदूरी	59647.02	24852.93	34794.09
04-यात्र व्यय	7.00	2.92	4.08
07-मानदेय	332.15	138.40	193.75
08-कार्यालय व्यय	0.25	0.10	0.15
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50	0.21	0.29
15--गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6.00	2.50	3.50
17-किराया उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	60.00	25.00	35.00
29-अनुरक्षण	4.00	1.67	2.33
42-अन्य व्यय	2.50	1.04	1.46
51-वर्दी व्यय	0.01	0.01	00
योग-03	60059.43	25024.78	35034.65
04-भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय			
01-वेतन	12636.95	5265.40	7371.55
03-महंगाई भत्ता	758.22	263.27	494.95
04-यात्रा व्यय	33.00	13.75	19.25
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10.00	4.17	5.83
06-अन्य भत्ते	535.65	223.19	312.46
07-मानदेय	0.01	0.01	00
08-कार्यालय व्यय	40.00	16.67	23.33
09-विधुत देय	50.00	20.83	29.17
10-जलकर जल प्रभार/	5.00	2.08	2.92
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	7.50	3.13	4.37
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00	2.50	3.50

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

13-टेलीफोन पर व्यय	13.00	5.42	7.58
14-मोटर गाडियों का क्रय	0.01	0.01	00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	60.00	25.00	35.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.50	0.63	0.87
21-छात्रवृत्तिया और छात्रवेतन	40.00	16.67	23.33
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2.00	0.83	1.17
39-औषधि तथा रसायन	2.00	0.83	1.17
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	0.50	0.21	0.29
42-अन्य व्यय	1.00	0.42	0.58
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.01	0.01	00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा और अन्य प्रासंगिक व्यय	32.07	13.36	18.71
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00	0.83	1.17
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.01	0.01	00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.00	1.25	1.75
49-चिकित्सा व्यय	30.00	20.83	9.17
51-वर्दी व्यय	140.00	58.33	81.67
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	762.15	317.56	444.59
योग-04	15171.58	6277.20	8894.38
06-विधानसभा निर्वाचन			
02-मजदूरी	0.01	0.01	00
04-यात्रा व्यय	0.01	0.01	00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.01	0.01	00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.01	0.01	00
42-अन्य व्यय	0.01	0.01	00
योग-06	0.05	0.05	00
08-नगर निकाय चुनाव			

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

02-मजदूरी	1680.00	00	1680.00
04-यात्रा व्यय	23.00	00	23.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18.00	00	18.00
42-अन्य व्यय	20.00	00	20.00
योग-08	1741.00	00	1741.00
योग-2070	76972.06	31302.03	45670.03
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200-अन्य कार्यक्रम			
03-इयूटीरत होमगार्डस स्वयंसेवकों के बीमा हेतु बीमा कम्पनी को प्रीमियम की अदायगी			
42-अन्य व्यय	150.00	00	150.00
योग - 2235	150.00	00	150.00
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800-अन्य व्यय			
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ			
0101-होमगार्डस विभाग की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत अनावासीय भवनों का निर्माण			
24-वृहत निर्माण कार्य	445.36	31.91	413.45
0102-होमगार्डस विभाग की आधुनिकीकरण योजना			
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	60.00	00	60.00
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	50.00	15.41	34.59
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	100.00	00	100.00
42-अन्य व्यय	0.01	00	0.01
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50.00	00	50.00
08-मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों का निर्माण			
24-वृहत निर्माण कार्य	1500.00	600.00	900.00
योग - 4070	2205.37	647.32	1558.05
सर्वयोग- 2070, 2235 व 4070	79327.43	31949.35	47378.08

(रु० चार अरब तिहत्तर करोड अठ्ठत्तर लाख आठ हजार मात्र)

सुनील कुमार
उप सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://Shasanadesh.up.nic.in>

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।